**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(पंचायती राज विभाग)**

क्रमांक :–17(ई)परावि/प्रशा2./बीएफसी./09–10/2223 जयपुर दिनांक 30/05/16

**:: आदेश ::**

विभागीय आदेश संख्या 2702 दिनांक 17.09.13 के द्वारा नवजृजित कनिष्ठ लिपिकों के पदो पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की सेवाऐ प्रथम नियुक्ति तिथी से मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था । उपरोक्त आदेश से प्रतिनियुक्ति पर मनरेगा योजनान्तर्गत पदस्थापित सभी कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उनका पदस्थापन एतद्द्वारा पंचायती राज विभाग के अधीन यथावत उसी जिला परिषद/पचायत समिति/ग्राम पंचायत में किया जाता है।

इन पदों पर नवनियुक्त 7765 कनिष्ठ लिपिक पंचायती राज विभाग के अधीन रहते हुए ग्रामीण विकास एवं मनरेगा योजना सहित समस्त कार्य यथावत करते रहेगें ।

विभागीय आदेश क्रमांक 5008 दिनांक 15.12.15 के अतिक्रमण में उक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतन श्रृखला इस आदेश की पालना में कनिष्ठ लिपिकों द्वारा अपने कार्यालय अध्यक्षों को कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक से विभागीय बजट मद 2515 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त कनिष्ठ लिपिकों के द्वारा सफलतापूर्वक दो वर्ष का परिवीक्षाकाल अवधी पूर्ण करने से इस आदेश की पालना में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक तक की अवधी का वेतन एरियर के भुगतान के संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त विचार किया जावेगा ।

विभाग के ध्यान में यह भी आया है कि विभागीय आदेश क्रमांक 5008 दिनांक 15.12.15 के अनुसरण में कतिपय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नवनियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को स्थायी कर दिया गया है, ऐसे आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । स्थाईकरण बाबत निर्णय माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तद्नुरूप निर्णय लिया जावेगा।

अतः यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्थाईकरण बाबत नहीं होकर केवल (provisional) नियमित वेतनमान (Regular pay scale) देने हेतु है।

यह आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका संख्या 32008–32009/2013 एवं अन्य संम्बद्ध वादों के अन्तिम निर्णय के अध्ययधीन रहेगा ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

ह0
**(मातादीन शर्मा)**
**अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर ।
5. आयुक्त, मनरेगा योजना सचिवालय जयपुर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय–5 विभाग जयपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय जयपुर ।
8. समस्त मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोट करने हेतु।
11. अध्यक्ष, पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी वेलफेयर समिति जयपुर ।
12. रक्षित/आदेश पत्रावली ।

**अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव**